

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 05.02.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/31
संदर्भ संख्या सं. CICOM/A/2018/00031
CICOM/R/2017/01512

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
मो0 - 9968876357.

निर्णय की तारीख : 05.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.12.2018 (अपीलकर्ता से शायद भूलवश 24.01.2018 की जगह 24.12.2018 टंकित हो गया है)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सेन्ट्रल रजिस्ट्री - 1 द्वारा जारी फेसीलेशन मेमो से संबंधित सूचना की मांग की गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है इसलिए जन सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. ऐक्ट, 2005 की धारा 20 के तहत दंडित किया जाना चाहिए ।
- संबंधित सचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन में अलग अलग पता दिया गया है । साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 15.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2018 को पर स. CICOM/R/2017/01512/CR-1 के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदन में उल्लिखित पते पर पेषित की गई थी, जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में अवितरित वापस आ गई है । यदि अपीलकर्ता चाहें तो केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय आकर प्रदान की गई सूचना की प्रति प्राप्त कर सकते हैं ।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
- पस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

5/2/18

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिसिद्धि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
- श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पजीयक (सी.आर.-1) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के.सू.आ., नई दिल्ली ।

Asst
06/02/18

06/2/18

06/2/18

C. I. C./के. सू. आ.
RECEIVED
06 FEB 2018
D. No.....
Initials.....